

## मैनुअल XVII

ऐसी अन्य जानकारी जो निर्धारित की जा सकती है; और उसके बाद हर साल इन प्रकाशनों को अद्यतन करना;

[धारा 4(1)(b)(viii)]

<p>सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 25 के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग की तिमाही रिपोर्ट के लिए समेकित सूचना (अप्रैल 2021 से जून 2021 की तिमाही के लिए)</p>
--

विभाग/संगठन का नाम: प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का नाम: नोडल अधिकारी का नाम: नामित पीआईओ का नाम: नामित एपीआईओ का नाम:	दिल्ली विद्युत नियामक आयोग श्री मुकेश वाधवा, सचिव सुश्री दिव्या टंडन, ईडी (विधि) श्री चंद्रकांत राँय, संयुक्त सचिव सुश्री नलिनी दूबे, कार्मिक अधिकारी
---	---

तिमाही के पहले दिन प्रारंभिक शेष राशि	तिमाही के दौरान प्राप्ति (अन्य लोक प्राधिकरणों को हस्तांतरित मामलों सहित)	अन्य लोक प्राधिकरणों को हस्तांतरित मामलों की संख्या	निर्णय जहां अनुरोध / अपील खारिज कर दी गई		निर्णय जहां अनुरोध/अपील स्वीकार की गई		उन मामलों की संख्या जहां किसी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई
44	66	15	अनुरोध	शून्य	अनुरोध	95	शून्य
			अपील	शून्य	अपील	8	

अस्वीकृत अनुरोधों के दौरान विभिन्न प्रावधानों को लागू करने की संख्या

आरटीआई अधिनियम, 2005 की प्रासंगिक धारा													
धारा 8 (I)											धारा		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	9	11	24	अन्य
शून्य													

एकत्रित राशि (रुपये में)		
आवेदन शुल्क	अति. शुल्क और कोई अन्य शुल्क	जुर्माना राशि
150	0	शून्य

हस्ताक्षर :	
अधिकारी का नाम और पद : टेलीफोन :	श्री चंद्रकांत राँय, संयुक्त सचिव 011-26673608

\* प्रारंभिक आवेदनों के रूप में पीआईओ द्वारा प्राप्त अनुरोध।

\*\* प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा प्राप्त अपीलों के अनुसार।

\$ आंशिक रूप से स्वीकृत।